प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक :– प्रा0शि0–सेवा(2)/निर्देश/ 18927 / 2014–15 दिनांक : 07 जनवरी, 2015

विषय :– प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

शैक्षिक सत्र 2014–15 में विभिन्न स्तर पर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान आया है कि विद्यालय में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकायें विद्यालय के कार्यदिवस में शासकीय कार्य दिखाकर विद्यालय से अनुपस्थित रहते है, जिससे विद्यालय के अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के पठन–पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

विद्यालय में अध्ययन–अध्यापन के कार्य को सुचारू बनाये रखने हेतु आवश्यक प्रतीत होता है कि कार्यरत अध्यापकों से निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन कराना सुनिश्चित कराया जाय :–

1. विभाग द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम/खेल प्रतियोगिता एवं समय–समय पर सक्षम स्तर से निर्दिष्ट विशेष कार्यो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कार्य से अध्यापक विद्यालय के पठन–पाठन कार्य को छोड़कर बाहर न जाय।
2. शासनादेश संख्या–400/XXIV(1)/2013–8/2005 टीसी दिनांक 20 मई, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागूँ है, जिसमें अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यो में भाग लेना निषिद्ध किया गया है। तथापि यदि जिला प्रशासन द्वारा कतिपय शिक्षकों को, बी0एल0ओ0 ड्यूटी में कार्ययोजित किया गया है तो सम्बन्धित अध्यापक द्वारा बी0एल0ओ0 कार्य को विद्यालय के निर्धारित कार्यअवधि के उपरान्त सम्पादित कराया जाय।

भवदीय

7/1/15

(सीमा जौनसारी)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।